शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या– 3561/8–3–13–543काम्प/13

प्रेषक,

पी0एन0 यादव,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 13 दिसम्बर, 2013

विषयः शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों का नक्शा पास किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शहरी क्षेत्रों में (नगर निगम/नगर पालिका/कैन्टोनमेंट /टाउन एरिया) के विद्यालयों की मान्यता के लिए भूमि की आवश्यकता में संशोधन सम्बन्धी शिक्षा अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–1938/15–7–09–1(199)/2009 दिनांक 10.09.2010 की प्रति संलग्नकर इस आशय से प्रेषित है कि शिक्षा अनुभाग–7 के उक्त शासनादेश में की गयी नयी व्यवस्था/संशोधन सम्बन्धी प्राविधानों संज्ञान लेते हुए नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी0एन0 यादव)
अनु सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एन0 यादव)
अनु सचिव।

M.GO.(2)

संख्या- 1938/15-7-09-1(199)/2009

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0)
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

लखनऊ: दिनांक 10 सितम्बर, 2010

शिक्षा (7) अनुभाग

विषय:- इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम,1921 के अन्तर्गत निर्मित विनियमों के अध्याय-7 के विनियम-9(अ),(क) 5 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-परिषद-9/डी0ई0/35 दिनांक 23 सितम्बर, 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अन्तर्गत निर्मित विनियमों के अध्याय-7 के विनियम-9(अ),(क) 5 में श्री राज्यपाल अधिनियम की धारा-16(2) के अंतर्गत निम्नवत् संशोधन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

वर्तमान स्वरुप	प्रस्तावित संशोधन
भूमि- विद्यालय के नाम जिस पर भूमि-भवन बना हो उसका विवरण निम्नवत् है:- 1- शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगरपालिका/टाउन एरिया) में 1,000 वर्ग मी0 अथवा चौथाई एकड़ तथा 2- ग्रामीण क्षेत्र में 4000 वर्ग मी0 अथवा एक एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। भूमि विद्यालय के प्रबंधक अथवा अन्य किसी	विद्यालय/समिति/ट्रस्ट के नाम जिस पर विद्यालय भवन बना हो, उसका क्षेत्रफल/(एरिया) निम्नवत् होगा :- 1- शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगरपालिका/कैन्टूनमेंट/टाउन एरिया) में न्यूनतम 650 वर्ग मीटर जिसमें 162 वर्ग मीटर कीड़ास्थल होगा। कीड़ास्थल विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि से अधिकतम 200 मी0 की दूरी की परिधि में भी हो सकता है, परन्तु यह अनिवार्य होगा कि विद्यालय की भूमि तथा कीड़ास्थल की भूमि सड़क या सम्पर्क मार्ग से एक ही ओर हो, अर्थात विद्यालय की भूमि तथा कीड़ास्थल की भूमि सड़क के आर-पार न हो।

...2....

व्यक्ति के नाम होने पर मान्य नहीं होगी

कीड़ास्थल– शहरी क्षेत्र के लिए एक वालीवाल खेलने हेतु मैदान (162) वर्गमीटर से कम न होगा) तथा ग्रामीण क्षेत्र के लए 648 वर्ग मीटर का मैदान होना अनिवार्य होगा। कीड़ास्थल विद्यालय परिसर में होना आवश्यक है।

ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग मीटर जिसमें 648 वर्ग मीटर भूमि का क्रीडास्थल होगा। क्रीड़ास्थल विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि से अधिकतम 200 मी0 की दूरी की परिधि में भी हो सकता है, परन्तु यह अनिवार्य होगा कि विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क या सम्पर्क मार्ग से एक ही ओर हो, अर्थात विद्यालय की भूमि तथा क्रीड़ास्थल की भूमि सड़क के आर–पार न हो।

टिप्पणी– पूर्व में विद्यालयों को परिषद द्वारा मान्यता तत्समय प्रचिलित जिन नियमों/विनियमों के अन्तर्गत प्रदान की गयी है,उन विद्यालयों की भूमि/ क्रीड़ास्थल उसी रूप में स्वीकार किये जायेंगे।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
सचिव।

पृ0 सख्या–1938 (1)/15–7–2009

प्रतिलिपि सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Vimm